



2026: AHC: 39820-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 29978/2025

अन्नू @ कामरान खान

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: नरेंद्र सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. कुछ तर्कों के पश्चात, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बार में यह बयान दिया है कि वह इस याचिका पर बल देने का इरादा नहीं रखते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त कथन के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

23 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के.यू.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।